

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पपडियान, तौलीभूड, लांघा, ग्राम पष्ठा के लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

उपजिलाधिकारी विकासनगर एवं अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, देहरादून के पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के पत्रांक 2252/12-1, कालसी दिनांक 24-5-19 के अनुपालन में दि० 12.06.19 एवं 15.06.19 में नलकूप खण्ड, देहरादून, राजस्व विभाग एवं भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों एवं सम्बन्धित ठेकेदार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

क्र०स०	उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी व प्रतिनिधि के नाम
1	श्री सत्ये सिंह, सहायक अभियन्ता, नलकूप खण्ड, देहरादून
2	श्री अरुण सजवाण, अपर सहायक अभियन्ता, नलकूप खण्ड, देहरादून
3	श्री धीरज कोटनाला, वन दरोगा, लांघा क्षेत्र
4	श्री प्रीतम चौहान, वन आरक्षी
5	श्री रामभोज शर्मा, राजस्व उपनिरीक्षक ग्राम कटापत्थर
6	श्री रमेश जोशी, राजस्व उपनिरीक्षक ग्राम डुमैट, लांघा
7	श्री जगदीश राठौर, राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम पपडियान एवं पष्ठा

(रामभोज शर्मा)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र कटापत्थर

(जगदीश राठौर)
राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र पपडियान एवं पष्ठा
क्षेत्र...

Assistant Engineer
Tubewell Sub Division-IV
Dakpathar

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०स० वन प्रभाग
कालसी।

तहसीलदार
विकासनगर
विकासनगर

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड
देहरादून

(रमेश जोशी)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र डुमैट, लांघा

उपजिलाधिकारी
विकासनगर

जिलाधिकारी
देहरादून

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पपडियान, तौलीभूड, लांघा, ग्राम पष्ठा के लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दि० 15-6-19 एवं 15-06-19 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री धीरज कोटनाला वन दरोगा राजस्व विभाग की ओर से श्री राम भोज बर्मा, श्री रमेश जैसी, श्री जगदीश राठौर, राजन इपनि ओर से श्री सत्ये सिंह, स० डी० एवं श्री अरुण सजवाण, अपर का डी० द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.180 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य है०, वन पंचायत भूमि शून्य है० एवं नाप भूमि 0.67 है० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

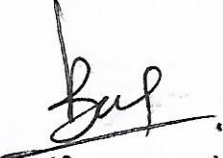
अवेदित वन भूमि में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

उक्त पाइप लाइन का व्यास 14" (14 इंच) एवं 5" (इंच) है

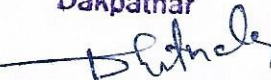
(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है) वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है।


(अरुण सजवाण)
अपर सहायक अभियन्ता
नलकूप खण्ड, देहरादून


(सत्ये सिंह)
सहायक अभियन्ता
नलकूप खण्ड, देहरादून
Tubewell Sub Division-IV
Dakpathar


(वी०एस० पाल)
अधिशाली अभियन्ता
नलकूप खण्ड, देहरादून


(प्रीतम सिंह चौहान)
वन आरक्षी

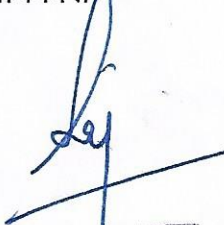

(धीरज कोटनाला)
वन दरोगा


(महावीर सिंह रावत)
वन क्षेत्राधिकारी, लांघा रेंज


प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग
कालसी भू०सं० वन प्रभाग
कालसी।


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

प्रतिहस्ताक्षरित
जिलाधिकारी


जिलाधिकारी
देहरादून।